न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–एक, सांभर लेक, जिला–जयपुर।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जांगिड़, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 140 / 2026

एनसीवी नंबर : 118 / 2026

गुलाबचंद पुत्र स्व. गोविंद राम, उम्र 50 वर्ष, निवासी ठाकुरजी के मंदिर के सामने काजीपुरा पुलिस थाना सांभरलेक, जिला जयपुर

....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान–राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक सांभरलेक

.....अप्रार्थी

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एफ. आई. आर. नम्बर–66 / 2026, पुलिस थाना सांभर, अंतर्गत धारा 316(5) बी.एन.एस. 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 03.06.2026, न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक।

उपस्थित :–

1. श्री तेजपाल प्रजापत, विद्वान् अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी / अभियुक्त।
2. श्री उमाशंकर व्यास, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते सरकार।

– आ दे श –

दि नां क : 06.06.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त गुलाबचंद की ओर से यह जमानत आवेदन एफ.आई. आर. संख्या– 66 / 2026 पुलिस थाना सांभर में जरिये अधिवक्ता पेश किया। जमानत आवेदन में प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम् जमानत आवेदन होने, प्रार्थी / अभियुक्त का अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं होना वर्णित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दी गई। जमानत आवेदन पर बहस सुनी गयी। जमानत आवेदन पर बहस सुनी गयी।

2. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी / अयिुक्त के द्वारा उचित मूल्य की दुकान का समुचित रूप से संचालन किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा गेहूं का स्टॉक सही व सुरक्षित रूप से रखा गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा कथित राजकीय राशन गेहूं का कोई गबन व खुर्द–बुद नहीं किया गया है तथा विभाग के द्वारा अटेचमेंट आदेश के उपरांत गेहूं का संपूर्ण स्टॉक मांगीलाल को संभलाया गया है। प्रकरण में प्रार्थी / अभियुक्त की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण दिनांक 03.05.2026 को किया गया था जिस संदर्भ में विभाग के द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिनांक 06.05.2026 को प्रदत्त किया गया था, जिस पर प्रार्थी / अभियुक्त ने दिनांक 18.05.2026 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। उक्त जवाब की प्रति प्रस्तुत किये गये है। उक्त जवाब में प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा यह स्पष्टतः उल्लेखित किया गया था कि ग्राम पंचायत के गोदाम की चाबी उसके पुत्र के पास होने के कारण उसमें रखा 171 क्विंटल राशन का निरीक्षण नहीं कराया है तथा गोदाम में 171 क्विंटल राशन मौजूद था। प्रार्थी / अभियुक्त के द्वारा उक्त जवाब प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही

विभाग के द्वारा अटेचमेंट की कार्यवाही बाबत् आदेश दिनांक 15.05.2026 को जारी कर दिया गया है जिस संदर्भ में उक्त आदेश की प्रति पेश की गई है। उक्त आदेश के अनुसरण में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा ग्राम पंचायत की दुकान से 68.50 क्विंटल गेहूं तथा ग्राम पंचायत के पास की दुकान से 171 क्विंटल 400 ग्राम गेहूं मांगीलाल को सुपुर्द कर दिया था जिस संदर्भ में फर्द तैयार की गई थी। उक्त फर्द की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कथित अपराध प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कारित नहीं किया जाना एवं कथित अपराध से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई संबंध नहीं होना स्पष्ट है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को निराधार संलिप्त किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा न ही कोई बरामदगी किया जाना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त गत कई दिवसों से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त स्थानीय क्षेत्र काजीपुरा, सांभरलेक का निवासी है, जिसके पलायन करने की कोई संभावना नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा सरकार द्वारा चयनित व्यक्तियों को मिलने वाले गेहूं का गबन किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त कथन करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2026 को परिवादी मुकेश हाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यायल जयपुर ग्रामीण ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 03.05.2026 को ग्राम पंचायत काजीपुरा उचित मूल्य दुकानदार की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकानदार उपस्थित मिला जिनकी उपस्थिति में पोस मशीन में दर्ज स्टॉक 173.50 क्वि. एवं आमद 66.20 क्वि. गेहूं कुल उपलब्ध स्टॉक 240 क्वि. गेहूं का भौतिक सत्यापन किया गया। मौके पर 69 क्विंटल गेहूं ही पाया गया। **171.00 क्विंटल गेहूं की मात्रा कम** मिली। इस बाबत् उचित मूल्य **दुकानदार गुलाबचंद टेलर** द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार इनके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को वितरण किया जाना था उन्हें वितरण न कर 171 क्विंटल गेहूं का **दुरुपयोग** किया गया है.....इत्यादि।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सांभर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 66/2026 अंतर्गत धारा 316(5) बी.एन.एस. व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 316(5) बी.एन.एस. व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक के समक्ष पेश किया, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. का पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

7. प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 31.05.2026 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर काजीपुरा स्थित उचित मूल्य दुकान एफपीएस–कोड 31193 का संचालक होते हुए रसद विभाग द्वारा आवंटित राशन गेहूं 240 क्विंटल में से 171 क्विंटल गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वितरण नहीं कर गबन करने के आरोप है। प्रकरण में दर्ज एफ.आई.आर. में प्रार्थी/अभियुक्त को नामजद किया गया है। इस संदर्भ में फर्द मौका व प्राधिकृत उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण प्रतिवेदन केस डायरी पर है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10 ग में आपराधिक मनःस्थिति की उपधारणा का प्रावधान है। अब तक के अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 316(5) बी.एन.एस. व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधाधीन है। प्रकरण में इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में प्रकरण में प्राप्त होने वाले साक्ष्य व सूत्र नष्ट होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले राशन/गेहूं का लाभार्थियों को वितरण नहीं किया जाकर गबन करने के आरोपित प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने की दशा में इस प्रवृत्ति के व्यक्तियों के हौंसले बुलंद होंगे जिससे समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा।

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत नहीं पाया जाता है।

आदेश

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **गुलाबचंद पुत्र स्व. गोविंद राम, उम्र 50 वर्ष** की ओर से प्रस्तुत प्रथम् जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दीवानी मूल क्षेत्राधिकार रिट पिटिशन सं. 1082/2020 बउनवानी सुहास चकमा बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2024 दिशा–निर्देशों के क्रम में जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने के आदेश के संबंध में उच्च स्तर पर उपचार प्राप्त करने हेतु उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता/सुविधा की सूचना हेतु विहित प्रारूपानुसार कवर शीट अभियुक्त पक्ष को सूचना हेतु उपलब्ध करवायी जावे।

(अरविन्द कुमार जांगिड़)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–एक,
सांभर लेक, जिला–जयपुर

9. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जांगिड़)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–एक,
सांभर लेक, जिला–जयपुर